उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-2
संख्या: 7/2016/9/5/35-आ-2/2007-69
लखनऊ : दिनांक 04 अप्रैल, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किये जाने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या:9/5/35-आ-2/2007-69 दिनांक 13 अगस्त,2013 एवं दिनांक 20 जून, 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए एतदद्वारा उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन निम्नलिखित जनपदों में उनके सामने अंकित मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में, जो समिति के अध्यक्ष होंगे, नाम-निर्दिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मण्डल	जनपद	नाम-निर्दिष्ट मा. मंत्रीगण
मेरठ	गौतमबुद्धनगर	श्री राममूर्ति सिंह वर्मा
वाराणसी	चन्दौली	श्री इकबाल महमूद

कृपया उपरोकतानुसार सम्बंधित जनपदों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

नवीन चन्द्र त्रिपाठी
विशेष सचिव, नियोजन।

संख्या: 7/2016/9/5(1)/35-आ-2/2007-69 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मा. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- मा. मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव।
3-मा .उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के निजी सचिव।
4-मुख्य सचिव के निजी सचिव।
5-समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री।
6-प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7-प्रमुख सचिव, विधान परिषद।
8-समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव।
9-समस्त विभागाध्यक्ष।
10-समस्त मण्डलायुक्त।
11-समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
12-संसदीय कार्य अनुभाग-1/2 ।
13-गोपन अनुभाग-1 ।
14-नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
15-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव, नियोजन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in